न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **29/2018 अपील रसद**

श्रीमती सपना राजावत पिता नरेन्द्रसिंह राजावत, निवासी अम्बावाड़ी, रामपुरा उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी प्रथम, उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षी**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर मुकदमा नम्बर 54/17 रसद तारीख फैसल 28.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—14.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेन्टर उचित मुल्य की दुकान रामपुरा की वितरण व्यवस्था पिछले 10 वर्षो से की जा रही हैं। परन्तु कभी भी किसी के द्वारा वितरण व्यवस्था के संबंध में शिकायत नहीं की गई। दो तीन व्यक्ति फ्री में राशन चाहते हैं। जिन्हे राशन नहीं दिया जाने से झुठी व गलत शिकायत की गई। अपीलान्ट बिमार हो जाने से खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूॅ समय पर वितरण नहीं किया गया। माह जुन 2017 में 1.4 क्विंटल गेहूॅ पोस मशीन से वितरण किया गया। बाकी वितरण नहीं किया जा सका। बकाया गेहूॅ स्टॉक के अनुसार पोते था। एक भी किलो गेहूॅ की हेरा फेरी कभी नहीं की गई। मौके पर जितना गेहूॅ

होना चाहिये था उतना गेहूँ स्टॉक रजिस्टर व मौके पर उपलब्ध था। उसके बाद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया एवं एफआईआर दर्ज करवायी गई। जॉच अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारीत करना नहीं पाये जाने से प्रकरण में एफ.आई.आर. नम्बर 142/17 दिनांक 08.11.17 पेश कर दी गई। बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना एफआर को देखे अपीलान्ट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 7 एवं उसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 सी एवं 18 का उल्लंघन नही किया गया है फिर भी प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काबिल निरस्त के हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.05.18 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दो तीन व्यक्तियो द्वारा अपीलान्ट से फ्री में राशन चाहा जाता है जिन्हे फ्री में राशन नहीं दिया गया। जिस कारण से झूठी शिकायत की गई। जिस पर प्रवर्तन अधिकारी गिर्वा द्वारा जॉच की गई। जॉच के पश्चात् जॉच रिपोर्ट पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया एवं अपीलान्ट के विरूद्ध थाना अम्बामाता में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0335 दिनांक 16.08.17 दर्ज करवा दी गई। एफ.आई.आर. में जॉच अधिकारी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत कर दी गई कि सम्पूर्ण अनुसंधान एवं संकलित साक्ष्य में मामला अदम वकुआ (तथ्य की भूल) में कता कर मार्फत श्रीमान सीओ साहब नगर पश्चिम उदयपुर के माननीय न्यायालय एसीजेएम नम्बर 2 उदयपुर की

सेवामें प्रस्तुत की गई। यानिकी जितने भी आरोप लगाये गये वह सारे आरोप बेबुनियाद थे। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के बिमार हो जाने से खाद्य सुरक्षा का गेहूॅ का वितरण समय पर नहीं किया जा सका। बकाया गेहूॅ स्टॉक के अनुसार पोते था। एक भी किलो गेहूॅ की हेराफेरी कभी भी नहीं की गई थी। मौके पर जितना गेहूॅ पोते होना चाहिये था उतना ही पोते था। वास्तव में कोई जॉच नहीं की गई थी। 16 राशनकार्डधारीयो को दो माह का गेहूॅ वितरण नहीं किये जाने का भी आरोप लगाया गया है जबकि वह गेहूॅ लेने ही नहीं आये। तो उन्हे गेहूॅ कैसे वितरण किया जाता। यह कहना भी गलत था कि दुकान को अवैधानिक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा हो। अपीलान्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 7 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 सी, 18 का उल्लंघन नहीं किया गया। नाही किसी कानुन का उल्लंघन किया गया। गेहूॅ वितरण नहीं किये जाने से स्टॉक रजिस्टर अनुसार व पोस मशीन के अनुसार अपीलान्ट के पास गेहूॅ पुरा उपलब्ध था। 1 क्विंटल गेहूॅ की कभी भी हेराफेरी नहीं की गई। जब 16 राशनकार्डधारी कभी भी अपीलान्ट के पास गेहूॅ लेने नहीं आये तो अपीलान्ट उन्हे गेहूॅ का वितरण कैसे करता। अपीलान्ट ने किसी भी उपभोक्ता को गेहूॅ वितरण करने से कभी भी मना नहीं किया था। अतः अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल कर पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की शिकायत दुरभाष पर प्राप्त हुई थी। चयनित उपभोक्ताओ को दो माह का गेहूॅ नहीं दिया गया हैं। जिस पर दुकान की जॉच की गई। वक्त जॉच दुकान खुली पायी गई परन्तु उसमें राशन सामग्री के स्थान पर नमकीन, मुंगफली, पान मसाला, गुटखे, शेम्पू इत्यादि के पाउच लटके पाये गये व चुल्हे पर चाय बनती पायी गई। दुकान का कार्य सपना राजावत के पिता श्री नरेन्द्रसिंह जी राजावत के द्वारा किया जाना मौके पर लोगो द्वारा

बताया गया। दुकान पर मौजुद श्री विजयसिंह पिता घासीराम जी गुर्जर ने बताया कि उक्त दुकान को डेढ माह पूर्व 2500 रूपये प्रतिमाह किराये पर दी हैं। किरायानामा नहीं होना बताया गया। दुकान में राशन के संबंध में पुछने पर मालुम नहीं होना बताया। संचालक श्री नरेन्द्रसिंह राजावत को मोबाईल नम्बर 9462512020 पर सम्पर्क कर दुकान पर पहूॅचने हेतु कहा गया। किन्तु उनके द्वारा बाहर होना बताकर एफपीएस का निरीक्षण करवाने से मना किया। पोस मशीन नम्बर 4466 से केवल माह जुन व जुलाई का 1.14 क्विंटल गेहूॅ माह जुन में उपभोक्ताओ को वितरीत किया गया है जुलाई में गेहूॅ का वितरण शून्य हैं। मौके पर मौजुद पंचायत सीसारमा सरपंच श्री मोतीलाल गमेती द्वारा माह जुन व जुलाई का गेहूॅ उपभोक्ताओ में वितरण नहीं करना बताया व अपनी एफपीएस को अन्य कार्य पर देना बताया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर गेहूॅ वितरण नहीं कर चयनित लाभार्थी उपभोक्ता को उनके हिस्से के राशन से वंचित किया जा रहा हैं। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के क्लॉज 3(2), 6, 7 तथा इसी आदेश की शर्त संख्या 1, 5, 11, 17(सी) व 18 के अधिमान्य पीडीएस कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के क्लॉज 6(4) का उल्लंघन किया हैं। अतः डीलर द्वारा की गई अनियमितताओ को देखते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वह उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि दुकान की जॉच की गई उस समय पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के मुकाबले गोदाम में कितना गेहूॅ कम था। जिसका उल्लेख अपनी जॉच रिपोर्ट में नहीं किया गया है किन्तु जॉच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि डिलर द्वारा पोस मशीन के द्वारा 339.9 क्विंटल गेहूॅ वितरीत किया गया हैं। शेष 162.1 क्विंटल गेहूॅ डीलर के पास अवशेष हैं। गेहूॅ गोदाम में अवशेष था।

गेहूँ का उसके द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने की दृष्टि से खुर्द बुर्द नहीं किया गया था। डीलर द्वारा गेहूँ उपलब्ध होते हुए भी समय पर वैध उपभोक्ताओं में वितरण नहीं किया गया था। उन्हे राशन सामग्री से वंचित किया गया। परन्तु पुर्ण रूप से उन्हे गेहूँ देने से मना भी नहीं किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ्स के अनुसार दुकान का उपयोग अन्य कार्य में किया जाना प्रतित हो रहा हैं। जो नहीं होना चाहिये था। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. में भी एफ.आर. लग चुकी हैं। गोदाम में स्टॉक के मुकाबले सम्पूर्ण गेहूँ उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वितरण कार्य का एक मौका दिया जाना न्यायोचित रहेगा।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.05.18 को प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का निरस्त किया जाता हैं। अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि वह भविष्य में दुकान का उपयोग अन्यत्र कार्य हेतु किसी को दुकान किराये पर नहीं देवें एवं वितरण कार्य समय पर पूर्ण करें। दुकान के निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करें।

जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी से नये सीरे से प्रतिभूति राशि जमा करा पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर